कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर)

जयपुर, 5 नवम्बर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम के निर्देशानुसार सभी पशुपालकों, पशु मंडी संचालकों को पशु वधकर्ताओं एवं पशु मीट विक्रेताओं को सूचित किया जाता है। कि राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नंबर 1061/1997 तथा 1511/2005 के नवीनतम आदेश 30.10.2014 के आदेशों की अनुपालना में दिनांक 06.11.2014 से जयपुर शहर में पशु वध हेतु प्रवेश करने वाले पशुओं (बकरा, मेंढा, पाडा) एवं इनके परिवहन करने वाले वाहनों को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त कर नगर निगम जयपुर के सुपुर्द किया जायेगा एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में सहयोग हेतु सभी पशु वध क्रेताओं एवं विक्रेताओं को अपने पशुओं (बकरा, मेंढा, पाडा) को चैनपुरा रामगढ़ रोड़ स्थित स्लॉटर हाउस चैनपुरा में अपना व्यवसाय नियमान्तर्गत करें।

जयपुर शहर के सभी मीट व्यवसायिओं व पशु वध हेतु (बकरा, मेंढा, भैस–पाडा) आदि पशुओं को वध हेतु स्लॉटरिंग के लिए नगर निगम के स्लॉटर हाउस में जायेंगे।